

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लगा अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... कपाना
 निम्नलिखित..... बनाम..... पुनर्हीनाम करीब
 किस्त मुकदमा..... नं..... 331/22 सन.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
6/1/22	<p>1950 प्रामती ने यह प्रपिकामन थाए 31207 सब के लवत प्रोडिगो एमके 1950 प्रामती को एड-पडीम सुगा। पतावकी के एलान राजसु कडिकोपु का कपकोकन डिका। प्रमाण प्रमाण हल्लया प्रामती के हक के कमान कामा है कि कमान रूल के प्रिकट प्रिकटि कएसाई-डिपेसासा कागामी तार प्रेकि डि. 12/4/23 तक इठ कायाम का जारी किता पाया है कि काठ एड 300 390/01, 391/02 वरुं प्राम प्रिदावकी 0.15, 0.02 के भोव की प्रमाण प्रामती तलमीक वपामा के भोव की प्रमाण प्रामती वगए वरुं शक वाकन कोई कापकी एमके किमत ताई प्रामती-की प्रमाण प्रामती हाजा उपा हो। प्रमाण प्रामती 50/1/20 को डिकामती 31/1 को जारी नैरिस वगए का प्रमाण डि. 12/4/23 का प्रामती</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 बसा (1950)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
21/5 76	<p> प्रबन्ध पेश हुआ 680 प्राची उपन। स्वयं आदेश वापस किया किया गया। अदालत अपवर्णीय हुनी गई। फावली का अपलक्षण किया गया। अदालत फीजी के सुविधा का संतुलन व विवाद की दृष्टि प्राची के पक्ष में उतीर दी </p> <p> अतः न्यायालय द्वारा जो जारी अंतरिम स्वयं आदेश 18 6/1/22 को अख्तियार में निष्प लम पुष्ट किया जाता है </p> <p> फावली के जल शुमारधर नम्बर से भग है। आड-लकमील कारखिल कम्तर है </p>	